14.06.19 पत्रावली पेश हुयी। वकील फरीकेन उपस्थित। आज P.O. सा. अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली दि. 03.07.19 को पेश हो। B.O.

Hal

3.7.19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। P.O. सा. राजकीय कार्य से जयपुर पधारे हैं वास्ते मौका रिपोर्ट हेतु पत्रावली दिनांक 9.7.19 को पेश हो। B.O.

9.7.19 वकील प्रार्थी द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किये जाने से पत्रावली मिसल के ~~प्राप्त~~ ली गयी। पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। ~~पट~~.रि. भीलवाड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त मौका रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गयी। वकील प्रार्थी ने प्राप्त मौका रिपोर्ट पर बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, दस्तावेजों व मौका रिपोर्ट के मद्देनजर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

जबकि वकील ने बहस के दौरान कथन किया कि विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र के खण्डन में प्रस्तुत जवाब के आधार पर प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने की इस्तदुआ की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी नं. 126, 127, 128 कुल किता 3 रकबा 5 बीघा 06 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसकी प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की नकल संवत 2072 से 2075 से होती है। जबकि प्रार्थी अपने खातेदारी आराजी नं. 130 व 131 में स्थित आराजी में आने जाने हेतु

खण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

होकर रास्ते का उपयोग उपयोग कर रहा है किन्तु आराजी नं0 130 व
137 विपक्षी के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख
जमाबंदी की नकल सम्वत 2072 से 2075 से होती है प्रस्तुत दस्तावेजों
व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार प्रार्थी अपने खातेदारी
अर्जेन्डासन की आराजी में आने-जाने बाबत रास्ते का उपयोग
उपयोग विगत 50 वर्षों से करता चला आ रहा है जिसकी ताईद स्थानीय
प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे से होती है इस बाबत T.D.R. भीलवाड़ा
से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार विपक्षी के खातेदारी अर्जेन्डा
सन की आराजी नं0 130 व 137 मिलान सरकारी रास्ते कमोड़ी से उक्त
की ओर आने-जाने का बना हुआ है। प्रार्थी विपक्षी की आराजी नं0 130 व
137 में से 0.00.15 बिस्वांसी (0.01 बिस्वा यानि 01 बिस्वा 15 बिस्वांसी) बनती है।
जिसकी D.L.C. की दर से 10,813/- रुपये बनते है। चूंकि के लिये प्रार्थी
सहमत है क्योंकि प्रार्थी को अपनी आराजी में आने-जाने का निकटतम
व सुगम रास्ता आराजी नं0 130 व 137 में से ही है जबकि विपक्षी के
प्रार्थी को अपनी खातेदारी कास्तकारी में आने-जाने हेतु मौके पर इस
रास्ते के अलावा वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं है।
उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध
करने में सफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251-A
स्वीकार किया जाना उचित समझती है, अतः
R.T.A का स्वीकार किया

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251A R.T.A का स्वीकार किया
जाकर ग्राम कमोड़ी पटवार हल्का दरीबा तहसील व जिला भीलवाड़ा
में स्थित प्रार्थी के खातेदारी आराजी नं. 126, 127, 128 कुल किता
3 रकबा 5 बीघा 06 बिस्वा भूमि में आने-जाने हेतु विपक्षी के
खातेदारी भूमि में स्थित आराजी नं. 130 रकबा 01 बिस्वा आराजी
नं0 137 रकबा 0.00.15 बिस्वांसी यानि कुल किता 2 रकबा 01 बिस्वा
15 बिस्वांसी भूमि को मिलान दर्ज कर रास्ते हेतु राजस्व रेकार्ड
में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उसी अनुसार
मिलान राजस्व रेकार्ड दर्ज
विपक्षी के खाते में से कम की जाकर विपक्षी के खाते में अंकन
करते हुए नक्शे में तरमीम की जावे। आराजी नं0 130 व 137 में से 01.15 बिस्वांसी
होने वाले रकबे यानि आराजी नं0 130 व 137 का भुगतान करने पर 10813/- रुपये
भूमि की जगत D.L.C. दर से रकम के भुगतान विपक्षी को दिया
बनते है वह प्रार्थी उक्त राशि का D.D. बनाकर विपक्षी को दिया
जावे। विपक्षी द्वारा राशि प्राप्त करने पर ही मिलान करते हुए
नक्शे में तरमीम की जावे। पालना हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को लिखा
जावे। पत्रावली बाद तकमील शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner